अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 10.03.2026 को आयोजित जल जीवन मिशन (फेस–4) के अन्तर्गत सतही स्त्रोत आधारित पेयजल योजना में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति) की अध्यक्षता में दिनांक 10.03.2026 को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), श्री रविन्द्र कुमार जैन, डी.पी.एम, टीपीआई, श्री नीरज कुमार, QA/QC, टी.पी.आई, श्री आनन्द कुमार सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोडिनेटर, डीपीएमयू, कार्यदायी संस्था मै0 एन0सी0सी0 लि0 से श्री रमेश कृष्णा, जे0जी0एम0, श्री शिवरामराजू, डीपीएम, मै0 मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 से श्री दीपक कुमार डीपीएम, श्री दीपन डीपीएम और मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 से श्री राजेश कुमार, डी.जी.एम, श्री विपिन कुमार अवर अभियंता(वि0/या0) तथा समस्त सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) से श्री मोहित कुमार, श्री कमल भारद्वाज, श्री विपिन अगरिया, श्री प्रीतम सिंह तथा श्री अजुंम खान आदि उपस्थित रहे।

अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) तथा टीपीआई के डीपीएम द्वारा दोनों निर्माणाधीन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति एवं मै0 दारा इंजीनियरिंग के द्वारा 89 नग पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निम्नलिखित रूप से बताया गया:–

मै0 एन0सी0सी0–एपको(जे0बी0), पैकेज–01

1. **भूमिगत जलाशय (CWR) की प्रगति–** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै0 एन0सी0सी0 द्वारा कुल 17 सी0डब्ल्यू0आर0 का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया 17 सीडब्लूआर पर पीसीसी का कार्य (0–25 प्रतिशत) पूर्ण, 17 सीडब्लूआर पर राफ्ट कार्य (26–50 प्रतिशत) पूर्ण, 16 सीडब्लूआर पर रिटेनिंग वॉल कार्य (51–75 प्रतिशत) पूर्ण एवं 13 सीडब्लूआर पर स्लैब कार्य (76–99 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हो चुका है। टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया 386 के सापेक्ष मात्र 288 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहा है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा मै0 एन. सी.सी के जे.जी.एम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य पूर्ण कराये एवं जहॉ–जहॉ पर सिविल कार्य पूरा हो गया है वहां पर वि0/या0 के उपकरण/मशीनरी का इन्स्टॉलेशन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

2. **पम्प हाउस (Pump House) की प्रगति–** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै0 एन0सी0सी0 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै0 एन0सी0सी0 द्वारा कुल 17 सीडब्लूआर पर 17 पम्प हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया 17 सीडब्लूआर के पम्प हाउस पर पीसीसी का कार्य (0–25 प्रतिशत), 17 सीडब्लूआर के पम्प हाउस पर राफ्ट कार्य (26–50 प्रतिशत), 14 सीडब्लूआर के पम्प हाउस पर रिटेनिंग वॉल कार्य (51–75 प्रतिशत) एवं 03 सीडब्लूआर के पम्प हाउस पर स्लैब कार्य (76–99 प्रतिशत) हो चुका है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा जे0जी0एम0, एन0सी0सी0 को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

3. **सब स्टेशन बिल्डिंग (Sub-Station Building) की प्रगति–** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै0 एन0सी0सी0 द्वारा 17 सीडब्लूआर पर 17 सब स्टेशन बिल्डिंग (HT Room, LT Room, Scada Room आदि) का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसमें 14 सीडब्लूआर के सब स्टेशन बिल्डिंग पर फुटिंग का कार्य(0–25 प्रतिशत), 03 सीडब्लूआर के सब स्टेशन बिल्डिंग पर फुटिंग का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। 11 सीडब्लूआर के सब स्टेशन बिल्डिंग पर प्लींथ बीम का कार्य(26–50 प्रतिशत), 07 सीडब्लूआर के सब स्टेशन बिल्डिंग पर लिन्टेल बीम कार्य(51–75 प्रतिशत) एवं 06 सीडब्लूआर के सब स्टेशन बिल्डिंग पर रूफ स्लैब कार्य (76–99 प्रतिशत) कार्य हो चुका है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा जे0जी0एम0, एन0सी0सी0 को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। यह सुनिश्चित किया जाये कि Drawing/Design के अनुसार ही निर्माण कार्य करायें।

4. **क्लोरीनेटर बिल्डिंग (Clorinator Building) की प्रगति–** टी0 पी0 आई0 द्वारा बताया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै0 एन0सी0सी0 द्वारा 17 सीडब्लूआर पर 17 क्लोरीनेटर बिल्डिंग एवं UGR पर 01 क्लोरीनेटर बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जाना है। 10 सीडब्लूआर के क्लोरीनेटर बिल्डिंग पर फुटिंग का कार्य(0–25 प्रतिशत), 08 सीडब्लूआर के क्लोरीनेटर बिल्डिंग पर फुटिंग का कार्य प्रारम्भ नही हुआ है। 09 सीडब्लूआर के क्लोरीनेटर बिल्डिंग पर प्लींथ बीम का कार्य(26–50 प्रतिशत), 07 सीडब्लूआर के क्लोरीनेटर बिल्डिंग पर लिन्टेल बीम कार्य(51–75 प्रतिशत) एवं 05 सीडब्लूआर के क्लोरीनेटर बिल्डिंग पर रूफ स्लैब कार्य(76–99 प्रतिशत) हो चुका है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा जे0जी0एम0, एन0सी0सी0 को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए प्राथमिकता पर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

Scanned with OKEN Scanner

5. **पाइप लेइंग** – अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1967.71 किमी पाइप बिछाये जाने के सापेक्ष 1098.20 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से MS Pipe 165.31 किमी0 एवं DI Pipe 1802.40 किमी0 बिछाया जाना प्रस्तावित है। MS Pipe 156.74 किमी0 एवं DI Pipe 1708.19 किमी0 पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 68.61 किमी0 एवं DI Pipe 1029.59 किमी0 पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा जे0जी0एम0 एन0सी0सी0 को निर्देशित किया गया कि शेष पाइप की आपूर्ति कर ली जाये, पाइप लेइंग की गहराई मानक के अनुसार ही की जाये इसके साथ ही एम.एस पाइप की ज्वाइंटिग एवं वेल्डिंग अनुबन्ध के अनुसार आई.एस. कोड में निहित मानकों के अनुसार की जायें तथा टीम व मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए, स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

6. **फसल क्षतिपूर्ति**– जे0जी0एम0 एन0सी0सी0 द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 40 राजस्व ग्राम के फसल क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया को तैयार कर लिया गया है जिसमें से विकासखण्ड अकोला की ग्राम पंचायत अकोला पार्ट में लगभग 20 किसानों को फसल क्षतिपूर्ति प्रदान की जा चुकी है। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) तथा जे0जी0एम0 एन0सी0सी0 को निर्देशित किया गया कि जिन किसानों की भूमि के जिस क्षेत्र से पाइपलाइन गुजरने से फसलों की क्षति हुई है उनके फसलों की फसल क्षतिपूर्ति नियमानुसार करायें। इसके साथ–साथ अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) फसल क्षतिपूर्ति का सम्पूर्ण विवरण व अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखें। जनपद के सम्बन्धित तहसीलदार, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता यह सुनिश्चित करें कि पात्र किसानों को ही नियमानुसार फसल क्षतिपूर्ति हो।

7. **हाइड्रोटेस्टिंग**– समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 1098.20 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 180.21 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा जे0जी0एम0, एनसीसी को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी लेइंग किये गये पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग की RFI की समय से सूचना विभाग के व्हाट्सऐप्प ग्रुप पर तथा अधिशासी अभियंता व अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित करें। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की ज्वाइंट उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके है सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार अनुबन्ध में निर्धारित IS CODE/CPHU Manual/Working Pressure जो नियमानुसार हो, को बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये तथा नियमानुसार अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी किये जाये, जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हों। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पायी जाती है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

8. **रोड़ रेस्टोरेशन**– अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 एन0सी0सी0 द्वारा रोड़ डिस्मेंन्टलिंग 21.52 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 4.74 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 16.78 किमी0 रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा जेजीएम, एन0सी0सी0 को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य 01 सप्ताह का विशेष अभियान चलाकर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सम्बन्धित विभाग के साथ ज्वाइंट इन्सपेक्शन कराकर कार्यों की गुणवत्ता की जॉच कर विभागों से अनापत्ति/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

9. **नॉन–कंप्लायंस रिपोर्ट**– टीपीआई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि मै0 एन0सी0सी0 पर कुल 87 एन0सी0 लगायी गयी थी जिसमें से 80 एन0सी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 07 एन0सी0 (क्रिटिकल–05, मेजर–02) अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गया है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा मै0 एन0सी0सी0 के जे0जी0एम0, को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन0सी0 का नियमानुसार निस्तारित कराये तथा अवगत करायें। टी. पी.आई को निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।

10. **एन0ओ0सी0**– अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै0 एन.सी.सी के एन0ओ0सी0 का विवरण निम्नवत् है–

- **रेलवे एन0ओ0सी**– रेलवे के अन्तर्गत फर्म को 62 एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सभी एन0ओ0सी पोर्टल पर अप्लाई कर दी गयी है। 45 एन0ओ0सी0 रेलवे द्वारा प्राप्त हो चुकी है, शेष एन0ओ0सी0 प्रक्रियाधीन है।
- **एन0एच0आई0**– एन0एच0आई0 के अन्तर्गत फर्म को 07 फाइल के अन्तर्गत 37 एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सभी एन0ओ0सी पोर्टल पर अप्लाई कर दी गयी है। 04 नग एन.ओ.सी का एस्टीमेट रिसीव हुआ है एवं 04 नग एन.ओ.सी का एस्टीमेट का भुगतान किया जा चुका है। मात्र 02 नग एन0ओ0सी0 की परमीशन प्राप्त हो चुकी है ।
- **एन0एच0(पी0डब्लू0डी)**– एन0एच0(पी0डब्लू0डी) के अन्तर्गत फर्म को 03 नग एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सभी एन0ओ0सी अप्लाई कर दी गयी है, 03 नग का एस्टीमेट प्राप्त हुआ एवं 03 नग एन.ओ.सी का एस्टीमेट का भुगतान किया जा चुका है।
- **Yeida-** येडा के अन्तर्गत 01 नग एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है जिसको फर्म द्वारा अप्लाई की गयी है।
- **यूपीडा(UPEIDA)**– यूपीडा के अन्तर्गत 01 नग एन0ओ0सी फर्म द्वारा अप्लाई कर दी गयी है जो कि प्रकियाधीन है।

Scanned with OKEN Scanner

- **सिंचाई विभाग–** सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुल 209 एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है 207 नग एन.ओ.सी. हेतु ड्राइंग अधिशासी अभियंता लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा के यहाँ जमा करवा दी गयी है शेष प्रकियाधीन है
- **वन विभाग–** फॉरेस्ट विभाग के अन्तर्गत कुल को 11 एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है जिसमें 06 एन0ओ0सी0 परिवेश पोर्टल पर अप्लाई कर दी गयी है। 02 नग एन.ओ.सी प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ सेंचरी की एनओसी हेतु ज्वाइंट विजिट कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

अतः मै0 एन.सी.सी के जे.जी.एम को निर्देशित किया गया कि शेष बची हुई सम्बन्धित विभागों की NOC तत्काल अप्लाई करें। इसके साथ–साथ श्री अंजुम खान, सहायक अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि एनओसी के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लें कि मै0 एनसीसी के स्तर से आवेदन हेतु यदि कोई एनओसी लम्बित है, तो तत्काल अप्लाई करायें।

11. **सुरक्षा मानकों के अनुरूप कार्य कराना–** टीपीआई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 एन0सी0सी0 द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन करने में शिथिलता बरती जा रही है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित को सुरक्षा मानकों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गये। यदि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मै0 मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, पैकेज–02

1. **अवर जलाशय (OHT) की प्रगति–** टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सापेक्ष मात्र 380 ओ0एच0टी0 पर कार्य प्रगति पर है। जिसमें से 08 ओएचटी पर खुदाई का कार्य, 372 ओएचटी पर पीसीसी कार्य(0–25 प्रतिशत), 27 ओएचटी पर खुदाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। 95 ओएचटी पर स्टेजिंग का कार्य(26–50 प्रतिशत), 48 ओएचटी पर स्लैब का कार्य (51–75 प्रतिशत) एवं 10 ओएचटी पर जिंक एलम टैंक रखने का कार्य (76–99 प्रतिशत) किया जा चुका है। टी0पी0आई0 के डीपीएम द्वारा बताया गया 1636 के सापेक्ष मात्र 145 मैनपावर उपलब्ध है जो कि आवश्यक मैन पावर से बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए मै0 मेघा इजी0 के डीपीएम श्री दीपक एवं श्री दीपन को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढायें एवं कार्य को ससमय गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें तथा शेष बची हुई 27 ओएचटी पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करायें।

2. **जिंक एलम टैंक–** टीपीआई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि 10 ओएचटी पर जिंक एलम टैंक का कार्य हो चुका हैं जहाँ–जहाँ पर ओएचटी के स्लैब का कार्य पूर्ण हो चुका हैं और जिन पर जिंक एलम टैंक रखे जाने हैं, उन सभी स्थलों की सूची व संख्या तथा कितने किलोलीटर क्षमता का है अभी तक मै0 मेघा के द्वारा सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मीटिंग में बार–बार कहने के बाद भी मै0 मैघा इंजी0 द्वारा इस आशय का पत्र नहीं दिया जा रहा है कि कितने जिंक एलम टैंक बनाने है तथा कितने कन्वेन्शनल टैंक बनाने है। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा मै0 मेघा इंजी के डी.पी.एम को निर्देशित किया गया कि उक्त की सूची तत्काल उपलब्ध करायें। सभी डिजाइन (Sub Structure & Super Structure) चेक कर ली जाये। टैंक इन्स्टॉलेशन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्ट्रक्चर पर आने वाले सभी प्रकार के लोड एवं Sudden Bursting के फलस्वरूप उत्पन्न Hydrodynamic Force इत्यादि हेतु स्ट्रक्चर पूर्णतः सुरक्षित है। टैंक इन्सटॉलेशन के 15 दिवसों के भीतर टैंक की वाटर टाइटनेस इत्यादि की टेस्टिंग करायी जाये परंतु कई बार विभिन्न बैठकों में आपको निर्देशित किया जा चुका है किन्तु अभी तक आपके द्वारा टैंक के वाटर टैस्टिंग का कार्य नहीं किया गया है जिससे भविष्य में जिंक एलम टैंक के लाइनर खराब हो जाने के कारण कोई अप्रिय घटना घटित होने की संभावना है। इसके साथ ही ओएचटी की डिजाइन एवं ड्राइंग सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत करायी जाये। अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं की जॉच करायें। यदि किसी भी स्तर पर कोई कमी पाई जाती है तो सबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कठोर कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रेषित करें।

3. **पाइप लेइंग–** अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7567.76 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 6033.00 किमी0 पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 3960.33 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा डीपीएम मै0 मेघा इंजीनियरिंग को निर्देशित किया गया कि वह शेष डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की आपूर्ति को लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा टीम व मैन पावर की संख्या बढाते हुए गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाये जाने के दौरान लेइंग की गहराई का विशेष ध्यान रखते हुए मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें। टी0पी0आई0 द्वारा बताया गया कि कहीं–कहीं पर पाइप लेइंग में मानक के अनुसार गहराई में नहीं की जा रही है जिसकी शिकायतें प्राप्त हो रही है। अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) तथा टीपीआई के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाये जाने के दौरान एवं पाइप लाइन बिछाये जाने के उपरांत रैण्डम आधार पर गहराई चेक करें। यदि अनुबंध के अनुसार निर्धारित गहराई से कम पाई जाती है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही करें तथा अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट प्रेषित करें।

Scanned with OKEN Scanner

4. **हाइड्रोटेस्टिंग–** समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 3960.33 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 589.74 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, मेघा इंजी0 को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी लेइंग किए गये पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग की RFI की समय से सूचना, विभाग के व्हाट्सऐप्प ग्रुप पर तथा अधिशासी अभियंता व अद्योहस्ताक्षरी को भी प्रेषित करें। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की ज्वांइट उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके है सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार अनुबन्ध में निर्धारित IS CODE/CPHU Manual/Working Presure जो नियमानुसार हो, को बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पायी जाती है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक संख्या 3910/जे0जे0एम (हाइड्रो टेस्टिंग)/2025–26/Tech-05 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन योजनाओं में अवर जलाशयों का हाइड्रो टेस्टिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है उनमें अवर जलाशय के माध्यम से तब तक जलापूर्ति न किया जाय। जब तक कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार हाइड्रो टेस्टिंग का कार्य पूर्ण नहीं कर लिया जाता है। जिन योजनाओं में ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उनमें हाइड्रो टेस्टिंग का कार्य दिनांक 20 मार्च, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, एवं सीपेज आदि की स्थिति में आई0एस0 कोर्ड 3370 (पार्ट 01 एवं 02) के अनुसार उनका ट्रीटमेंट कराने के पश्चात ही अवर जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति की जाय।

5. **एफ0एच0टी0सी0 की स्थिति–** अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद आगरा में कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग को 810 राजस्व ग्रामों में कुल 296833 एफ0एच0टी0सी0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 111987 एफ0एच0टी0सी0 कनैक्शन दिये गये। विगत 01 वर्ष से नल संयोजन में कोई प्रगति नहीं हुई है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति)द्वारा मै0 मेघा इंजीनियरिंग को निर्देश दिया कि मशीनरी व लेबर की संख्या बढ़ाते हुए नल संयोजन की गति को तीव्र कराए। हाउस टैप कनेक्शन को घर के अन्दर तक पहुंचाया जाए एवं स्कूलों, पंचायतों भवनों आंगनबाडी केन्द्रो व अन्य सरकारी भवनों पर भी नियमानुसार नल संयोजन करायें जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम का कोई मजरा छूट ना पायें एवं प्रत्येक दशा में एफ0एच0टी0सी0 कनेक्शन घर के अन्दर ही हो एवं सही तरीके से क्लेंपिंग व ज्वाइंटिंग की जायें। टी.पी.आई. द्वारा बताया गया कि MDPE पाइप घरों के बाहर तक छोड़ दिये गये है उनमें GI Pipe पाइप तथा टोटिंया नहीं लगायी गयी है। अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए गये कि जाँच कराकर नियमानुसार कमियों को दूर कराये तथा रिपोर्ट प्रेषित करें।

6. **रोड़ रेस्टोरेशन–** अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजी0 के द्वारा रोड़ डिस्मैन्टलिंग 1302.49 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 1193.13 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 109.71 किमी0 रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 मेघा इंजीनियरिंग को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं पाइप लाइन बिछाने के दौरान सी0सी0 रोड़ की कटिंग जे0सी0बी0 से न कराकर रोड़ कटर से करायें व कॉम्पेक्टर के माध्यम से पूर्ण कॉम्पैक्शन करायें। डामरीकृत रोड़ की कटिंग उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित विभाग को पूर्व सूचित करते हुए NOC लेने के उपरान्त कार्य कराना सुनिश्चित करे। टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिदिन दो क्लस्टर की रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियंताओं एवं अवर अभियंताओं की निगरानी में कराते हुए अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) एवं अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करेंगें। सी0सी0, बी0ओ0ई0, बिटुमिनस रोड़, के0सी0 रोड़, इण्टरलॉकिंग रोड का रोड़ रेस्टोरेशन कार्य मानक के अनुरूप अनिवार्य रूप से करायें। JMR टीपीआई तथा जल निगम के अभियंताओं के साथ संयुक्त रूप से की जायें। यदि JMR के समय किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक संख्या 3911/जे.जे.एम(रोड़ रेस्टोरेशन)/2025–26/Tech-05 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं हेतु काटी गयी सड़को की मरम्मत (रिपेयर/रेस्टोरेशन) करने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये है–

1. ऐसी योजनायें जिनमें भौतिक रूप से पूर्ण है और टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। उन योजनाओं की तोड़ी गयी सड़को को 15 मार्च तक पूर्ण रूप से मोटेरेबल कर दिया जाय, जैसे ही टेस्टिंग कार्य पूर्ण हो जाता है, तो उन योजनाओं की सड़को को पूर्ण रूप से मूलरूप में रिस्टोर कर दिया जाय। तत्पश्चात O&M में ले ले जाया जाय ।
2. योजनायें जिनमें पाइप लाइन के कार्य चल रहे है, तो उनमें अनवरत रूप से सडको की मरम्मत/गढ्ढा मुक्त करते हुए मोटेरेबल कराया जाय।
3. मार्च के उपरान्त जल सारथी ऐप एवं पोर्टल तथा कॉल सेन्टर के माध्यम से जनता / प्रधानगण से फीडबैक/शिकायतें प्राप्त की जायेगी। यदि स्थलीय सत्यापन के बाद शिकायते सही पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

7. **नॉन–कंप्लायंस रिपोर्ट–** टी0पी0आई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 181 एन0सी0 लगायी गयी थी जिसमें से 121 एन0सी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 60 (क्रिटिकल–42 एवं मेजर–14 माइनर–04) एन0सी0 अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गयी है। टी.पी.आई द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजी द्वारा एन.सी क्लोज

Scanned with OKEN Scanner

नहीं की जा रही है जिससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा मै0 मेघा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन0सी0 नियमानुसार क्लोज कराये। यदि गुणवत्ता में कमी पायी जाती है तो कठोर कार्यवाही की जायेगी। टीपीआई एवं जल निगम ग्रामीण के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं द्वारा स्थलीय सत्यापन कर निरीक्षण आख्या अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम ग्रामीण को प्रेषित करें।

8. **एन0ओ0सी0–** अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजी0 द्वारा एन0ओ0सी0 के कार्यों में रूचि नहीं ली जा रही है। एन0ओ0सी0 का विवरण निम्नवत् है–
   - **रेलवे एन0ओ0सी–** रेलवे के अन्तर्गत फर्म को 59 एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सभी एन0ओ0सी पोर्टल पर अप्लाई कर दी गयी है। 36 एन0ओ0सी0 रेलवे द्वारा प्राप्त हो चुकी है, शेष एन0ओ0सी0 प्रक्रियाधीन है।
   - **एन0एच0आई0–** एन0एच0आई0 के अन्तर्गत फर्म को 00 एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सभी एन0ओ0सी पोर्टल पर अप्लाई कर दी गयी है। 03 एन0ओ0सी0 को डिमांड प्राप्त हो चुकी है जिसके अन्तर्गत मात्र 01 नग एन0ओ0सी का बैंक गारंटी और डिमांड जमा किया गया है।
   - **एन0एच0(पी0डब्लू0डी)–** एन0एच0(पी0डब्लू0डी) के अन्तर्गत फर्म द्वारा एन0ओ0सी0 अप्लाई कर दी गयी है, जो कि प्रक्रियाधीन है।
   - **Yeida-** येडा के अन्तर्गत 01 नग एन0ओ0सी0 फर्म द्वारा अप्लाई की गयी है
   - **यूपीडा(UPEIDA)–** यूपीडा के अन्तर्गत 01 नग एन0ओ0सी फर्म द्वारा अप्लाई कर दी गयी है जो कि प्रक्रियाधीन है।
   - **सिंचाई विभाग–** सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुल 183 एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है 70 नग एन.ओ.सी. हेतु ड्राइंग अधिशासी अभियंता लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा के यहाँ जमा करवा दी गयी हैं शेष प्रक्रियाधीन हैं
   - **वन विभाग–** फॉरेस्ट विभाग के अन्तर्गत फर्म द्वारा फॉरेस्ट की एन0ओ0सी0 परिवेश पोर्टल पर अप्लाई कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ सेंचरी की एनओसी हेतु ज्वाइंट विजिट की प्रक्रियाधीन है।

   अतः मै0 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वाइल्ड लाइफ सेंचरी तथा शेष बची हुई सम्बन्धित विभागों की NOC तत्काल अप्लाई करें। इसके साथ–साथ श्री अंजुम खान, सहायक अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि एनओसी के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लें कि मै0 एनसीसी व मै0 मेघा इंजी0 के स्तर से आवेदन हेतु यदि कोई एनओसी लम्बित है, तो तत्काल अप्लाई करायें।

मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0। (O&M)

1. **संचालन एवं रखरखाव–** अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै0 दारा इंजीनियरिंग को जनपद आगरा की 89 नग पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु दिनांक 01.05.2025 को शासन द्वारा अनुबन्धित किया गया है। जिसके अन्तर्गत फर्म को पेयजल योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में जमा करा दिया गया है। जिसमें 73 नग पेयजल योजनाऐं आंशिक क्रियाशील एवं 16 नग पेयजल योजनाऐं बंद थी। मै0 दारा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अमित पाण्डे द्वारा बताया गया कि 73 नग पेयजल योजनाओं में से 04 नग पेयजल योजनायें में बुढाना मुस्तिकिल एवं सींगना बुजुर्ग पावर सप्लाई न होने के कारण बंद है एवं बाईपुर मुस्तिकिल एवं खन्डेर पेयजल योजना ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बंद है। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा अवर अभियंता (वि0/या0) को निर्देशित किया गया कि जिन 04 नग पेयजल योजनाओं पर विद्युत आपूर्ति के कारण संचालन बाधित है, उसके सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर तत्काल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये।

2. **आच्छदित मजरों में एफ.एच.टी.सी.की स्थिति–** मै0 दारा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अमित पाण्डे द्वारा बताया गया कि जनपद आगरा की O&M के अन्तर्गत 89 नग पेयजल योजनाओं को कुल 101728 एफ.एच.टी.सी है। वर्तमान में 101728 नग नल कनेक्शनों के सापेक्ष में मात्र 24361 नग नल कनेक्शनों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। 89 नग पेयजल योजनाओं में 417 मजरे शामिल है जिसमें से मात्र 117 मजरों में आंशिक रूप से पानी की जलापूर्ति की जा रही है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी। अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण) एवं मै0 दारा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि जलापूर्ति में आने वाली सभी कमियों को नियमानुसार दूर कराते हुए सभी मजरों में जल्द से जल्द जलापूर्ति की जायें।

3. **जलापूर्ति सम्बन्धी शिकायत/निस्तारण की स्थिति–** मै0 दारा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अमित पाण्डे द्वारा बताया गया कि फर्म के हेल्प लाइन नं 0562–4336113 पर माह मार्च तक प्राप्त 246 जलापूर्ति सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से फर्म द्वारा 187 जलापूर्ति सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा बताया गया कि अधिशासी निदेशक महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि ग्रीष्म ऋतु आरम्भ होने वाली है जहाँ–जहाँ जलापूर्ति की समस्या बनी हुई है वहाँ तत्काल समस्याओं का निरतारण कर जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा मै0 दारा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि तत्काल जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

4. **पम्प ऑपरेटर–** अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 89 योजनाओं में से 73 नग पेयजल योजनाओं पर पम्प ऑपरेटर तैनात किये गये है। 16 पेयजल योजनायें अक्रियाशील हैं। मै0 दारा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि बंद 16 पेयजल योजनाओं में से ब्लॉक बरौली अहीर के ग्राम पंचायत पंचगई खेरा और ब्लॉक शमशाबाद की ग्राम पंचायत कोलारा कलां एवं ब्लॉक बिचपुरी की ग्राम पंचायत गढ़सानी में जलापूर्ति सुचारू करा दी गयी है। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति)द्वारा मै दारा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि सभी योजनाओं का संचालन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाये तथा जिन ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति बहाल की गयी है, वहाँ निरन्तर एवं सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित की जाये।

टी0पी0आई0 (मै0 फिशनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा0लि0)– अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा टी0पी0आई0 के डीपीएम को निर्देशित किया कि समस्त निर्माण कार्यों पर स्वीकृत ड्रॉइंग/डिजाइन तथा गुणवत्ता व मानकों का पालन कराते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। निर्माण सामग्रियो का नियमानुसार प्रयोगशाला में परीक्षण करायें। पाइप की हाइड्रोटेस्ट्रिंग एवं टैंक इन्सटॉलेशन के 15 दिवस के अन्दर पानी भरकर टैंक की टैस्टिंग करायें तथा रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। रोड़ रेस्टोरेशन की गुणवत्ता चेक करें। टीपीआई के डीपीएम स्वयं तथा जल निगम ग्रामीण के सभी सहायक अभियंता/अवर अभियंता अपने अपने क्षेत्रों में कराये जा रहे समस्त कार्यों का निरीक्षण करें तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। भविष्य में गुणवत्ता व अन्य मानकों में किसी भी प्रकार की शिथिलता पायी जाने पर सम्बन्धित सहायक अभियंता/अवर अभियंता तथा टी0पी0आई0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण (वि0/यॉ0)– अवर अभियंता(वि0/या0), श्री विपिन कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि पैकेज–1 के अन्तर्गत समस्त पम्पस, ट्रांन्सफार्मर, वाल्व, पी.एल.सी. स्काडा सिस्टम, इलैक्ट्रो मैग्नेटिक फ्लोमीटर, ऑटोमैटिक क्लोनीरेशन सिस्टम, एल.टी. व एच.टी. पैनल एवं केबिल के ऑर्डर प्लेस हो गये हैं जिसके सापेक्ष समस्त 108 नग पम्पस, 143 नग चेक वॉल्व, 242 नग वाल्स 34 नग ट्रांन्सफार्मर, 251 नग प्रेशर गेज, एच.टी. पैनल, डबल पोल स्ट्रक्चर एवं एल.टी., एच.टी. केबिल व एल.टी पैनल एन. सी.सी. के स्टोर में आ गये हैं। डी.जी. सेट का ऑर्डर प्लेस करना शेष है। बरौली अहीर, खन्दौली, सैंया सी.डब्लू.आर एवं यू0जी0आर0 पर वि0/यॉ0 यंत्र संयत्रों का अधिष्ठापन कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कुल 18 नग विद्युत संयोजनों के प्राक्कलन की धनराशि सबंधित विद्युत विभाग में जमा करा दी गयी है तथा 16 नग विद्युत संयोजनों पर विद्युत विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। पैकेज–2 के अन्तर्गत उपकरणों का विभाग द्वारा अवलोकन कर संशोधित डिजाइन–ड्रॉइंग, डिजाइन टीम के साथ उपलब्ध कराने हेतु मै0 मेघा इंजीनियरिंग को निर्देशित किया गया।

उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) साइट निरीक्षण– अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन CWR, Rising Main, Feeder Main, OHT, Distribution Pipe laying, Hydrotesting इत्यादि के कार्यो का टीपीआई व जल निगन द्वारा सतत निरीक्षण किया जाये। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि वह अपने सम्बन्धित क्षेत्रों के अवर अभियंताओं एवं स्वयं नियमित रूप से समस्त कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें एवं अद्यतन सूचनाओं से अवगत रहे तथा कार्यों में आ रही किसी भी प्रकार के व्यवधान को तुरंत निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही टीपीआई के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन निरीक्षण करें एवं निर्माण कार्यो में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी भी प्रकार की कमी पायी जाती है तो तत्काल अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) व अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

सुरक्षा मानकों के अनुरूप कार्य कराना– टीपीआई के टीम डीपीएम द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति) द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए डीपीएम मेघा इंजी0 को निर्देशित किया कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यदि सुरक्षा मानकों को पालन नहीं किया गया तो कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चत करायें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मेघा इंजी0 के डीपीएम एवं, एन0सी0सी0 के जैजीएम को निर्देशित किया गया कि परियोजना के शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों एन0एच0, एन0एच0ए0आई0, रेलवे, वन विभाग एवं सिंचाई विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं परियोजना की भौतिक प्रगति को मानव श्रम व आवश्यक मशीनरी बढाकर कार्य गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत करायें। मै0 दारा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि सर्वोच्च प्राथमिकता पर अक्रियाशील पेयजल योजनाओं में आ रही कमियों, पाइप लाइन लीकेज, बार बार मोटर खराब होने, क्लोरीनेशन नही करने, मैन पावर की कमी, शिकायत का समय पर निस्तारण न करना आदि समस्याओं को दूर कराकर नियमानुसार योजनाओं का संचालन कराना सुनिश्चित करें। सभी सहायक अभियंता/अवर अभियंता तथा टी0पी0आई0 को निर्देशित किया जाता है कि वे निरन्तर फील्ड में भ्रमण कर निर्माण कार्यों को तीव्रता से करायें एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखे कि किसी भी ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम का

Scanned with OKEN Scanner

कोई मजरा छूट ना पायें एवं प्रत्येक दशा में एफ0एच0टी0सी0 कनेक्शन घर के अन्दर ही हो। इसके साथ साथ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन पत्रांक संख्या 3910/जे0जे0एम (हाइड्रो टेस्टिंग)/2025–26/Tech-05 दिनांक 24.02.2026 तथा पत्रांक संख्या 3911/जे.जे.एम(रोड़ रेस्टोरेशन)/2025–26/Tech-05 दिनांक 24.02.2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही अक्षम्य होगी।

अधिशासी अभियंता /सदस्य सचिव
(जिल पेयजल एंव स्वच्छता मिशन)
आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा।

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक 229 बैठक /~~जे0जे0एम0~~/का0वृ0/ दिनांक 12.03.2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, आगरा।
4. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति) आगरा।
5. अधीक्षण अभियंता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
6. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (वि0/यॉ0), आगरा को इस निर्देश के साथ जहॉ–जहॉ सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है वहां पर E&M के उपकरण/मशीनरी की आपूर्ति कराकर शीघ्र ही इन्स्टॉलेशन का कार्य प्रारम्भ कराये।
7. समस्त सहायक अभियंता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह स्वंय अपने–अपने क्षेत्रों में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
8. टीम लीडर/डी0पी0एम0, फिशनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा0 लि0 आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
9. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई (डी0पी0एम0यू0), आगरा को अनुपालनार्थ।
10. जे0जी0एम0, मैसर्स एन0सी0सी0 एपको (जे0वी0) (पैकेज–1), आगरा को अनुपालनार्थ।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स मेघा इंजी0 एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (पैकेज–2), आगरा को अनुपालनार्थ।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी0जी0एम0, मै0 दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, आगरा को इस निर्देश के साथ नियमानुसार योजनाओं का संचालन कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियंता /सदस्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner